

**अत्यावश्यक
पंचायत उप चुनाव, 2025**



**राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार**

**STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

पत्र संख्या-प0नि0 30-37/2025-3268
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, (भा0प्र0से0)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक-

29.7.25

विषय :- पंचायत उप निर्वाचन, 2025 : ग्राम पंचायतों/ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने के संबंध में।

प्रसंग :- आयोग का पत्रांक 3094 दिनांक 10.07.2025 एवं पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 3094 दिनांक 10.07.2025 द्वारा पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में ग्राम पंचायतों/ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिनांक 24.07.2025 को शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञा कराये जाने का निदेश भेजा दिया गया था।

2. संभव है कि कुछ अप्रत्याशित कारणवश, यथा अस्वस्थता, मुख्यालय से बाहर रहने आदि के कारण कोई निर्वाचित प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को या बाद में भी शपथग्रहण/प्रतिज्ञा के लिये नहीं आ सके हों एवं इन्हें अभी तक शपथग्रहण/प्रतिज्ञा नहीं करायी गयी हो। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा निदेश दिया गया है इन्हें दिनांक 05.08.2025 से 12.08.2025 तक किसी भी दिन कार्यालय अवधि में विशेष कार्यक्रम नियत कर नियमावली के संगत प्रावधानों एवं आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत निदेशों के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। स्पष्ट किया जाता है कि बिना निर्धारित कार्यक्रम के भी छूटे हुये निर्वाचित प्रतिनिधि सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होकर शपथग्रहण/प्रतिज्ञा दिलाने का अनुरोध करते हैं तो उन्हें शपथग्रहण/प्रतिज्ञा दिलायी जा सकती है।

3. निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि निर्वाचित होने के तीन महीने के अंदर शपथ नहीं लेने की स्थिति में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 136 (4) के प्रावधानों के अधीन उनका पद रिक्त समझा जायेगा।

4. अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निदेश दिया जाय कि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर उनका शपथग्रहण/प्रतिज्ञा कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-37/2025-3268

पटना, दिनांक- 29.7.25

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर को राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक प0नि0 30-37/2025-3268

पटना, दिनांक- 29.7.25

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक प0नि0 30-37/2025 3268

पटना, दिनांक- 29.7.25

प्रतिलिपि: सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।